अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

नं. 2/120/2021   तारीख रजू................................

नन्दराम   बनाम   गोविन्दसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अत:अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्वर 207 वाके ग्राम मैंथना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मैथना से टीकरी सडक के सहारे मुताविक कब्जा के सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह रूकावट व मजाहमत पैदा न करें। जवरन वेदखल कर कब्जा ना करें तथा रहन व्यय ना करें। गैरसायल सं0 15 उक्त आराजी वावत किसी तरह का वयनामा रहननाम आदि दस्तावेज तस्दीक व वंजीवद्व ना करें। रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति वनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण ज़रिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/9/21	[illegible]/P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तारीख
26/11/21	पत्रावली 184/81 ... कम्प कोर्ट में पेश हुई। ... आवश्यक ... यहाँ ... प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 31/3/22 को न्यायालय हुक्म में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	300 18/3/22
31/3/22	वकील प्रार्थी उपस्थित ... 28/6/22 ...	
28/6/22	कुमार ... P.O. ... पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	
18/7/22	पत्रावली आज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी के जमानत पत्र ... पेश हुई वकील प्रार्थी ने जमानत पत्र ... करने ... नहीं चलाने का निवेदन किया है अतः जमानत पत्र ... वकील प्रार्थी के जमानत पत्र के आधार पर ... खारिज किया जाता है। पत्रावली ... होकर ... मूल वाद के साथ शामिल रहे। ... उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	